न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 71/2023 (GCMS : 2023/99)

1. **दलजीत सिंह** } पिसरान राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख
2. **हरदीप सिंह** } निवासीयान वार्ड नं. पुराना 13, नया वार्ड नं. 14, नायक, बस्ती एस.एस.बी. कार्यालय के पास, शमशान भूमि रोड़, करनपुर थेड़ी, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपजिलाधीश, राजस्व, श्रीकरणपुर**
2. **बलविन्द्र सिंह पुत्र** श्री काला सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नं. पुराना 13, नया वार्ड नं. 14, नायक बस्ती, एस.एस.बी. कार्यालय के पास, शमशान भूमि रोड़, करनपुर थेड़ी, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **जरिये सुखमीत कौर** पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. पुराना 13, नया वार्ड नं. 14, नायक बस्ती, एस.एस.बी. कार्यालय के पास, शमशान भूमि रोड़, करनपुर थेड़ी श्रीकरणपुर
3. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जसराम टाक उपस्थित है, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपजिलाधीश राजस्व, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचारधीन प्रकरण संख्या 09/2022 अनवानी प्रकरण बलविन्द्र सिंह बनाम दलजीत सिंह आदि में पीठासीन अधिकारी दबाव में कार्यवाही कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण ने इस प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तिकिली करने हेतु हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी में लिया जाकर, प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि दिखाकर बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये मनमाना आदेश पारित करना चाह रहे है। इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

प्रार्थी के विद्वाना अधिवक्ता का आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 बलविन्द्र सिंह ने दिनांक 10.04.2013 व 11.04.2013 को प्रार्थीगण के ... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आगे चक्कर काटे और प्रार्थीगण को ऐलानिया तौर से कहा है कि उसने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है तथा रास्ता से सम्बन्धित प्रकरण का फैसला उसके पक्ष में ही होगा। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। इसलिए उनका प्रकरण अन्य समक्ष अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 17.07.2023 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी दलजीत सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण अनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम दलजीत सिंह वगै. को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, करणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी दलजीत सिंह द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण, उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है, राजनैतिक दबाव होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.09.01 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested

है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:01:57 IST
Reason: SelfAttested